भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3214

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66

†3214. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत राज्य की शुद्ध उधार सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के लिए भूमि अधिग्रहण मद में राज्य द्वारा अंतरित 5,580.73 करोड़ रुपये की राशि को छूट देने के संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाओं में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान देने वाले राज्यों को कोई विशेष छूट प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सामान्यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव का व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। तथापि, कुछ परियोजनाओं में, परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण (एलए)/निर्माण का व्यय राज्य सरकारों द्वारा भी वहन किया जाता है।

केरल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत में योगदान दिया है/योगदान देने पर सहमति जताई है। नागालैंड, मणिपुर और असम जैसे कुछ अन्य राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ कार्यों के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई है। कुछ मामलों में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य जीएसटी और खनिजों पर रॉयल्टी आदि की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। विवरण अनुलग्नक पर संलग्न है।

'केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66' के संबंध में श्री मोहम्मद बशीर द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3214 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2025-26 तक भूमि अधिग्रहण की लागत सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा योगदान के लिए सहमत निधियों का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल योगदान(रुपये करोड़ में)	टिप्पणी
1	उत्तर प्रदेश	2301	
2	हिमाचल प्रदेश	14.93	
3	पश्चिम बंगाल	7	
4	उत्तराखंड	61	
5	तमिलनाडु	107	
6	असम	125.00	गुवाहाटी रिंग रोड और काजीरंगा एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण लागत साझा करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई है, जिसका निर्धारण भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद किया जाएगा।
7	ओडिशा	228.59	भुवनेश्वर कैपिटल रिंग रोड की भूमि अधिग्रहण लागत में भी योगदान दिया, जिसका निर्धारण भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद किया जाएगा।
8	महाराष्ट्र	20.71	पुणे में भूमि अधिग्रहण लागत के लिए भी लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
9	केरल	5,580.74	
10	जम्मू और कश्मीर	122.51	
11	दिल्ली	654	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे (ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे) के लिए 3700 करोड़ रुपये देने का प्रतिबद्धता किया गया है।
12	हरियाणा	3114	
13	झारखंड	115	
14	आंध्र प्रदेश	71	
15	मध्य प्रदेश		इंदौर पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि लागत का 25% (1320 करोड़ रुपये) और इंदौर पूर्वी बाईपास के लिए भूमि लागत का 50% (1172.49 करोड़ रुपये) प्रतिबद्धता किया गया है।
16	बिहार	396.08	
17	पंजाब	132.00	
18	गुजरात	-	गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-धोलेरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट (एनएच-751) के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 685.97 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है।
19	तेलंगाना	100.00	
20	कर्नाटक	528.08	साथ ही, बेंगलुरु में सैटेलाइट टाउन रिंग रोड की भूमि लागत के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई है।
